



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272555
CG-DL-E-14052026-272555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2314]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2406(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3), (4) और (5), धारा 7, धारा 17 की उपधारा (8) और (9) तथा धारा 18, धारा 19, धारा 21, धारा 28, और धारा 29 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12-12/2025 जीओवी -1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**(Department of Sports)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2406(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby appoints the 12th May, 2026, as the date on which the provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of section 5, section 7, sub-sections (8) and (9) of section 17 and sections 18, 19, 21, 28 and 29 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 12-12/2025 Gov-1]

KUNAL, Jt. Secy.